

न्यू ग्रेटर नोएडा : चारों ओर प्रवेशद्वार और ट्रक प्लाईट बनेंगे

ग्रेटर नोएडा में सभी हित धारकों की हुई बैठक, मास्टर प्लान को अंतिम स्पष्ट देने में जुटा प्राधिकरण

पार्यनियर समाचार सेवा | नोएडा



न्यू ग्रेटर नोएडा एनसीआर में और खास होगा। यह शहर हाइटेक व भवति इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रदूषण से मुक्त और पहले से भी अधिक हरा भरा होगा। इस रेखे में औद्योगिक निवेश पर अधिक जोर होगा।

इसके चारों ओर ट्रक्स क्वाइट विकसित किये जाएंगे। माल-दुलाइ और सभी तरह की यूटिलिटी के लिए विशेष कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राथमिक मास्टर प्लान 2041 को अंतिम स्पष्ट देने में जुटा है।

इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसके मुताबिक मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा का कुल क्षेत्रफल 55970 होगा। ग्रेटर नोएडा फेस ट्रू के अंतर्गत 140 गांव शामिल किए जाएंगे, जबकि फेस बन 117 गांव हैं। मास्टर प्लान 2041 में ग्रेटर नोएडा फेस बन व ट्रू की कुल आवादी 40 लाख होने का आकलन है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर सुझाव प्राप्त करने के मकसद से

प्राधिकरण के सीईओ एनजी रिव कुमार ने एसीईओ अन्नपूर्णा गांव व सभी स्टैक होल्डर्स शुक्रवार को एसीईओ में सहा रूपम, एसीईओ के साथ बैठक की और ड्राफ्ट मास्टर प्लान सुझाव लिए गए। ग्रेटर नोएडा 2041 में ग्रेटर नोएडा फेस बन व ट्रू की कुल आवादी 40 लाख होने का आकलन है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर सुझाव प्राप्त करने के मकसद से

में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2021 मास्टर प्लान की तुलना में उद्योगों की अधिक महत्व दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा फेस ट्रू में उद्योगों के माल दुलाइ को सुगम बनाने के लिए एक विशेष कॉरिडोर विकसित किया जाएगा।

इसके चारों ओर शहर के मुख्य प्रवेश घटक्स क्वाइट के लिए अलग-अलग जगहों पर ट्रक्स क्वाइट विकसित किए जाएंगे। इस नए ग्रेटर नोएडा में वितरण से संबंधित सभी विजली के तार भूमिगत होंगे, सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन ही बार रहे होंगे। मास्टर प्लान 2041 के अप्रूव द्वारा को विजली का भी मास्टर प्लान पर खुलकर सुझाव दे सकते हैं।

उहाँने कहा कि कोई भी नेचुरल ड्रेन से छेड़छाड़ न किया जाए, बल्कि उसे और सौंदर्यवृक्ष किया जाए। ड्रेन के दोनों तरफ कम से 50.50 मीटर की दूरी को नो कंस्ट्रक्शन जॉन ऑफिसर द्वारा विभाग जाएगा।

इसकी जिम्मेदारी एनपीसीएल को दी गई है। इस शहर के सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी तरह की यूटिलिटी के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि मेनेटरेंस के कार्यों के बारे में दूरी बार रहे। इस ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर स्थित बोर्ड रुम में सुनवाई होगी, जिसमें प्राप्त सुझावों को समावेशित कर फ इनल मास्टर प्लान पर बोर्ड से अप्रूव ली जाएगी और शासन से अनुमति लेकर आगे प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इस पर स्टॉडी करने को कहा गया है। तालाब वा किसी भी तरह के जल स्रोत से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सीईओ एनजी रिव द्वारा आवादी पौढ़ी के लिए एक अच्छा और प्रदूषण मुक्त शहर का लालन तैयार हो सकी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति या विभाग मास्टर प्लान पर खुलकर सुझाव दे सकते हैं।

उहाँने कहा कि कोई भी नेचुरल ड्रेन से छेड़छाड़ न किया जाए, बल्कि उसे और सौंदर्यवृक्ष किया जाए। ड्रेन के दोनों तरफ कम से 50.50 मीटर की दूरी को नो कंस्ट्रक्शन जॉन ऑफिसर द्वारा विभाग जाएगा। उसके दोनों तरफ ग्रीनरी विकसित की जाएगा।

इसकी जिम्मेदारी एनपीसीएल को दी गई है। इस शहर के सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी तरह की यूटिलिटी के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि मेनेटरेंस के कार्यों के बारे में दूरी बार रहे। इस शहर में सुनवाई होगी, जिसमें प्राप्त सुझावों को समावेशित कर फ इनल मास्टर प्लान पर बोर्ड से अप्रूव ली जाएगी और शासन से अनुमति लेकर आगे प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

जीआरएपी उल्लंघनकर्ताओं पर 24.30 लाख का जुर्माना लगाया

पार्यनियर समाचार सेवा | नोएडा

● नोएडा प्राधिकरण

द्वारा 26 घालान किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नोएडा कार्यालय) द्वारा 13 मामले दर्ज किए गए

(यूपीपीसीबी) के क्षेत्रीय अधिकारी उत्तरवार्ष शर्मा ने कहा कि इसके प्रतिक्रिया उत्तरवार्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 13 इकड़ीयों पर 10.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें एक रियल इंडेप्यूर द्वारा 26 घालान किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नोएडा कार्यालय) द्वारा 13 मामले दर्ज किए गए।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा 26 घालान किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नोएडा कार्यालय) द्वारा 13 मामले दर्ज किए गए।

जो आगे जाएगा, तो आगे जाएगा।

